भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3054
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्लास्टिक पार्क

3054. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चिकित्सा उपकरण पार्कों, वस्त्र पार्कों अथवा इलेक्ट्रॉनिक पार्कों की तर्ज पर सम्पूर्ण देश में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार कुल कितने पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार प्लास्टिक पार्कों की स्थापना हेतु अनुदान प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त राज्यों सहित प्रत्येक राज्य को उक्त प्रयोजनार्थ प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ङः) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्यों सहित राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग पेट्रोरसायन की नई योजना के तहत प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना के तहत, सरकार अपेक्षित मूलभूत संरचना और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में मदद मिल सके।

(ख) से (घ) विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी है। मंजूर किए गए प्लास्टिक पार्कों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I पर दिया गया है। इस योजना के तहत, भारत सरकार परियोजना लागत के 50% तक अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये है। पिछले पाँच वर्षों में प्लास्टिक पार्कों को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ) और (च) प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग राज्य सरकारों से प्रारंभिक प्रस्ताव मांगता है, जिसमें प्रस्तावित स्थान, वित्तीय विवरण, व्यापक लागत अनुमान आदि पर प्रकाश डाला जाता है। योजना संचालन समिति से सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के लिए विभाग को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसका मूल्यांकन किया जाता है और प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर योजना संचालन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता है। हाल ही में किसी भी राज्य से प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नवंबर, 2020 में विभाग ने दो नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। बिहार, उत्तर प्रदेश (02 प्रस्ताव), कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनकी एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की गई, जिसके आधार पर क्रमशः जुलाई, 2022 और जनवरी, 2022 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश और गंजीमट्ट, कर्नाटक में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई।

अनुलग्नक

सं.	**प्लास्टिक पार्क**	**अनुमोदन वर्ष**	**कुल परियोजन ०ा लागत (करोड़ रु.)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रु.)**	**जारी की गई राशि (करोड़ रु.)**	**2019-20 से जारी राशि (करोड़ रु.)**
1.	तामोट, मध्य प्रदेश	2013	108.00	40.00	36.00	3.10
2.	जगतसिंहपुर, ओडिशा	2013	106.78	40.00	36.00	6.12

3.	तिनसुकिया, असम	2014	93.65	40.00	35.73	13.73
4.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	2018	68.72	34.36	30.92	28.92
5.	देवघर, झारखंड	2018	67.33	33.67	30.30	28.30
6.	तिरुवल्लूर, तमिलनाडु	2019	216.92	40.00	22.00	14.00
7.	सितारगंज, उत्तराखंड	2020	67.73	33.93	18.65	18.65
8.	रायपुर, छत्तीसगढ	2021	42.09	21.04	4.21	4.21
9.	गंजीमट्ट, कर्नाटक	2022	62.77	31.38	6.28	6.28
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	2022	69.58	34.79	19.13	19.13

*****